भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय माखुपुरा ओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002 ई–मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in





Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller
of Mines. Makhupura Industrial
Area, Ajmer- 305002

₹RAJ/PAL-46/LST-4

दिनांक: 05-09-2022

प्रेषिति : खान एजेंट,

मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड,

पाली सीमेन्ट वर्क्स,

खसरा न. 1146, तुंकरा-बलारा रोड,

गाँव- बलारा, तहसील- जैतरण,

जिला – पाली (306709)-राजस्थान।

Email: kushal.jain@adityabirla.com

विषय :Violation of provisions of mineral conservation and development Rules,2017 in respect of your Pali (Mohrai Dangla) Limestone Mine(ML No. 29/99, lease area 689.76ha.) in Pali district of Rajasthan State.
महोदय.

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा जारी उल्लंघन पत्र दिनांक 04/07/2022 अवितरित वापस प्राप्त हुआ है। कार्यालय रिकार्ड में आप ने पत्राचार हेतु परिवर्तन किए गये पते कि सूचना इस कार्यालय में दिनांक 19 /07/2022 को प्रस्तुत की है। अतः उक्त उल्लंघन पत्र नये पते पर पुनः भेजा जा रहा है।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय

( डी. आर. गुर्जर )

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र,

Makhupura Industrial Area

Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

4-7.22

अजमेर.—305 002 (राजस्थान)

दिनांक : 30.06.2022

भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय **Ministry of Mines** भारतीय खान ब्यूरो

**Indian Bureau of Mines** 

Mine Code: 38RAJ21011

संख्या : RAJ/PAL-46/LST-4

प्रेषित :

पाली( मोहराई डागला) चूना पत्थर खान,

मेसर्स अल्टाटेक सीमेंट लिमिटेड, सेकंड फ्लोर,

सिद्धि विनायक काम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, ब्यावर

जिला-अजमेर (राजस्थान)

Email- kushal.jain@adityabirla.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Pali(Mohrai Dagla) Limestone Mine (M.L. No. 29/99, Lease area 689.76 Hect.) in Pali District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 28.04.2022 by the undersigned in presence of Shri K. C. Jain, Mine Agent & Shri Deeapk Kr. Sharma, Mines Manager:

Rule No. Nature of violation observed in detail Rule 11(1) The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 23.11.2020): -(i) During the year 2021-22 exploration was proposed by drilling of 29 bore holes (4238m) but no such drilling has been carried out till inspection.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली. 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गतः

- (क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा) ।

2 निदेशक, खान एवं भृविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।

3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला –पाली, राजस्थान।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो